रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05 REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-09052023-245759
CG-DL-W-09052023-245759

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 17] नई दिल्ली, अप्रैल 30—मई 6, 2023, शनिवार/ वैशाख 10—वैशाख 16, 1945
No. 17] NEW DELHI, APRIL 30—MAY 6, 2023, SATURDAY/VAISAKHA 10—VAISAKHA 16, 1945

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रुप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ल, 28 अप्रैल , 2023

सा.का.नि. 44.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग करते हुए और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (आशुलिपिक ग्रेड-I) भर्ती नियम, 1974 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया हैं या करने का लोप किया गया हैं, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में आशुलिपिक (ग्रेड-I) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात: -

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, आशुलिपिक (ग्रेड–I) समूह 'ख' भर्ती नियम, 2023 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - पद संख्या, इसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि - भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता -कोई व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति, जिसका पति या पत्नी जीवित है, से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगाः

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का या समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छुट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति - जहां केन्द्रीय सरकार की राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छुट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़े वर्गो और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पद की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**
1	2	3	4
आशुलिपिक (ग्रेड -I)।	14 (2023)* *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता हैं।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 6 (35400-112400 रु.)।

चयन या अचयन पद	**सीधे भर्ती के लिए आयु-सीमा**	**सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।**	**सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।**	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**
5	6	7	8	9	10
चयन पद।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	दो साल। टिप्पण-: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने	**पदोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति**

				के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रारंभिक प्रशिक्षण होगा।	**द्वारा।**

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती के मामले में वे ग्रेड जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना है।	**यदि विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) विद्यमान है, तो उसकी संरचना।**	**भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।**
11	**12**	**13**
(I) पदोन्नति: वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (35400-112400 रुपये) में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद दस साल की नियमित सेवा के साथ आशुलिपिक ग्रेड 2 हो। (II) प्रतिनियुक्ति: केंद्रीय सरकार के अधीन आशुलिपिक का पद धारण करने वाले अधिकारी होः (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किया हो। या (ii) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स के स्तर- 5 में (29200-92300 रूपये) में या समतुल्य में छह साल की नियमित सेवा की हो। या (i) मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद वेतन मैट्रिक्स स्तर-4 (25500-81100 रूपये) में या समतुल्य में दस साल की नियमित सेवा की हो। **टिप्पण 1:** जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए	समूह 'ख' विभागीय पदोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार करने के लिए जिसमें शामिल हैं): 1. उप निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद: अध्यक्ष; 2. सहायक निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद: सदस्य; 3. प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड -II या ग्रेड -III, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबादः सदस्य। समूह 'ख' विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए इसमें शामिल हैं): 1. उप निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद: अध्यक्ष; 2. सहायक निदेश, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद: सदस्य; 3.प्रशासनिक अधिकारी ग्रेड- II या ग्रेड- III, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबादः सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है।

विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने सेसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण 2:** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो पदोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। **टिप्पण 3:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण 4:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 60 वर्ष से अधिक नहीं होगी।		

[फा.सं .23011/71/2018-पीटी]

रमण कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

New Delhi, the 28th April, 2023.

G.S.R. 44.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy (Stenographer Grade-I) Recruitment Rules, 1974 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Stenographer (Grade-I) in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad in the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.-** (l) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Stenographer (Grade-I), Group 'B' post, Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix. - The number of post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be specified in Columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and qualifications etc.- The method of recruitment of the said post, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in Columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification. - No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, in consultation with Union Public Service Commission, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward classes, the ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	**Number of post.**	**Classification.**	**Level in the Pay Matrix.**
1	2	3	4
Stenographer (Grade-I).	14 (2023)* *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B', Non-Gazetted, Ministerial.	Level -6 (Rs. 35400-112400) in the pay matrix.

Whether Selection post or Non Selection Post.	**Age-Limits for Direct Recruits.**	**Educational and other Qualification required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment** **Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods.**
5	**6**	**7**	8	9	10
Selection Post.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Two years. **Note:-** There shall be a induction training of	By Promotion failing which by deputation.

				atleast two weeks duration for successful completion of probation as specified by the Central Government.	

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11	12	13
(I) Promotion: Stenographer Grade II with ten years of regular service rendered after appointment thereto on regular basis in level-4 (Rs.35400-112400) in the pay matrix. (II) Deputation: Officer holding the post of Stenographer under the Central Government: (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with six years of regular service in level 5 (Rs.29200-92300) in the pay matrix or equivalent rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre or department; or (iii) With ten years of regular service in level-4 (Rs.25500-81100) in the pay matrix or equivalent rendered after appointment thereto on regular basis in the parent cadre or department.	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion consisting of): 1. Deputy Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad: Chairman; 2. Assistant Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad: Member; 3. Administrative Officer Grade-II or Grade-III, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad: Member. Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering promotion consisting of): 1.Deputy Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad: Chairman; 2. Assistant Director, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad: Member; 3.Administrative Officer Grade-II or Grade-III, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad: Member.	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.

Note 1: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service **Note 2:** The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, the deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. **Note 3:** The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 4:** The Maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty six years as on the last date of receipt of applications.		

[F. No. 23011/71/2018-PT)]

RAMAN KUMAR, Under Secy.